

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2018


जयपुर, दिनांक : 26.12.2018

२१

आदेश


मा. राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 19138/2018 में पारित अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. अर्चना मित्तल, कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी), राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय, अजमेर का बकाया एवं आगामी वेतन उपस्थिति के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के अधीन उपलब्ध रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2- निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
- 3- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर
- 4- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन, अजमेर
- 5- अधीक्षक, राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय, अजमेर
- 6- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर
- 7- डा. अर्चना मित्तल, कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी), राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय, अजमेर
- 8- रक्षित पत्रावली

  
(ओ. पी. वर्मा)  
शासन सहायक सचिव